न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 53/2021

1 विकम
2 महेन्द्र पुत्रगण लीलानाथ
3 राजूदेवी पत्नी स्व. लीलानाथ समस्त जाति योगी निवासीगण ग्राम छाजना तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 बनवारीलाल
2 प्रभुदयाल
3 जितेन्द्र कुमार पुत्रगण भागीरथनाथ
4 मणी देवी पत्नी भागीरथनाथ
5 भवंरी देवी पुत्री भागीरथनाथ पत्नी सांवरमल
6 सिणगारी देवी पुत्री भागीरथनाथ पत्नी महावीर
7 नीतू पुत्री भागीरथनाथ पत्नी नेमीचन्द
समस्त जाति योगी निवासीगण ग्रात छाजना तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला जिला सीकर दिनांकित 04.12.2020
दावा संख्या 132/2020 उनवानी बनवारीलाल बनाम
प्रभुदयाल योगी आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 132/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 192, 343, 465, 655, 656, 657, 658 वाके ग्राम छाजणा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के दादा मुलानाथ की मृत्यु से पूर्व ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 30.08.2007 को हो गई थी। जबकि अपीलान्ट के दादा की मृत्यु दिनांक 26.05.2010 को हुई। इसलिए अपीलान्ट अपनी पैतृक कृषि भूमियां बाबत खातेदारी की भूमियों में दादा का नाम अंकित रहने से भूमियों का खाता अपने नाम नहीं खुलवा सका। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 के पिता भागीरथ की मृत्यु दिनांक 30.10.2017 को होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने आपस में दुर्भिसंधि करते हुए विरासत का नामांतकरण ग्राम पंचायत से नहीं खुलवाकर विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया। जबकि कानूनन विरासत का नामांतकरण ग्राम पंचायत से खुलवाना चाहिए था। जिससे अपीलान्ट के पिता एवं भोलानाथ के नाम से नामांतकरण खुलना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए तथा लीलानाथ के हक हिस्से को हड़पने की दुर्भावना से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय को धोखे व मुगालते में रखकर तथा वास्तविक स्थिति को छुपाकर षड़यंत्र रचकर बाला बाला निर्णय व डिक्री पारित करवाली जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 लगायत 6 ने दुर्भिसंधियुक्त दावा पेश किया जिसमें दावे की आदेशिका को देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 03.11.2020 को दावा पेश किया जिसमें तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 18.11.2020 की पेशी नियम की जाकर तथा दूसरे रोज ही दिनांक 04.11.2020 को मिसल तलबी का आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली को पूर्व नियत पेशी से तलब की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 उपस्थित होकर विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश करते है। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा को पत्रावली में शामिल कर तथा आगामी पेशी दिनांक 18.11.2020 को नियत होने पर तारीख पेशी दिनांक 08.01.2021 से पूर्व ही पुनः 27.11.2020 की शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर उसे स्वीकार कर नजदीक की तारीख 03.12.2020 प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हेतु नियत की जाकर दूसरे दिन दिनांक 04.12.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्यसा 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश करते हुए इसी दिनांक को दावा निर्णित कर डिक्री जारी कर दी गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मात्र दावा प्रस्तुत होने के दिन से तीन पेशी दी जाकर दावा अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 03.11.2020 को प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवादी को तामील प्राप्त हुए बिना ही दिनांक 04.12.2020 को साजशी रूप से सभी प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर राजीनामा प्रस्तुत करते है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति ना समझकर दावा मनमर्जी से आनन फानन में निर्णय व डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय ने न तो सभी पक्षकार की विधिवत तामील करवाई तथा बिना तामील करवाये ही कानून से बाहर जाकर मनमर्जी से निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 द्वारा गलत वंशावली दर्शित करते हुए मुलानाथ का एकमात्र वारिस भागीरथ ही बताकर दावा डिक्री करवाया गया है। वास्तविक रूप से अपीलान्ट के पिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लीलानाथ भी मूलानाथ का ही वारिस है, तथा लीलानाथ व भागीरथनाथ दोनों मुलानाथ की भूमियों में 1/2–1/2 भाग के हकदार है। लीलानाथ मुलानाथ ही पुत्र है इस संबंध में सरकारी रिकार्ड पहचान पत्र, मतदाता सूची ग्राम पंचायत बासड़ी द्वारा जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र तथा अपीलान्ट के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिये गये शपथ पत्र तथा परिवार राशन कार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम लीलानाथ पुत्र मुलानाथ अंकित है। उक्त स्थिति से भी स्पष्ट रूप से जाहिर है कि मुलानाथ के दो पुत्र भागीरथनाथ व लीलानाथ हुए। अपीलान्ट के दादा तथा अपीलान्ट के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र अवलोकनाथ अपील के साथ प्रस्तूत है। उक्त स्थित एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पिता भी मुलानाथ के जायंदा वारिस थे। परंतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में सही स्थिति को छुपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 से दुर्भिसंधि कर राजीनामा प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री गलत रूप से पारित करवाई गई है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलान्टस लीलानाथ के वारिस होने तथा उनका हक हिस्सा समाहित होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस के हक प्रभावित होते है। इस कारण प्रस्तुत अपील अपीलान्टस की ओर से प्रत्यक्ष हित समाहित होने के कारण अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील व्यथित व्यक्ति की हैसियत से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत् धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। वरवक्त बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने दस्तावेजों की सूची के साथ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डेला बउनवानी सरकार बनाम प्रभूदयाल अन्य मु.नं./एफआईआर नम्बर 322/21, आदेशिका दिनांक 25.05.2023 व सम्पूर्ण चालान की प्रति पेश की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील लीलानाथ के वारिसान की ओर से प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि लीलानाथ के नाम एवं उनके वारिसान के नाम न तो कभी खातेदारी में दर्ज रही है न ही विवादित भूमि पर लीलानाथ एवं उनके वारिसान का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय में दावा संख्या 47/2013 बाबत घोषणा प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 09.05.2018 को विड्रा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में भी अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादीगण के वाद कथन जवाब दावें राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में मूलानाथ पुत्र माघानाथ की खातेदारी में दर्ज रही है। विचारण न्यायालय में मूलानाथ के पुत्र भागीरथनाथ के वारिसान की ओर से दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत कर विचाराधीन डिक्री प्राप्त की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट मूलानाथ के दूसरे पुत्र लीलाराम के वारिसान है। इस आधार पर विवादित भूमि में पैतृक आधार पर उनका हक अधिकार है। विचारण न्यायालय में उनको पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन डिक्री तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई है। मूलानाथ की विरासत के आधार पर प्रथम दृष्टया अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। अपीलान्ट को विचाराधीन प्रकरण की जानकारी पूर्व से होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। दौराने अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में फर्द के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है। इन दस्तावेजात का गुणावगुण का परीक्षण विचारण न्यायालय में तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार पू)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर